कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जिला :- उत्तर बस्तर कांकेर

E-mail: dfoeast_bpur@rediffmail.com 07850-252223 Fax- 07850-252223

क्रमांक / मा.चि. / 2451 भानुप्रतापुर, दिनांक 4.4.018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी,
व.सं.अ. 1980
अरण्य भवन, सेक्टर – 19,
नार्थ ब्लाक, केपिटल कॉम्पलेक्स,
नया रायपुर – 492002 (छ.ग.)

द्वारा :– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed land for 'BasterNet' project is about creating an optical fibre backbone network to boost the internet and telecom connectivity across the East Bhanupratappur Division, area - 1.132 ha. - regarding. (Reg. No./FP/CG/Others/27422/2017)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–693 / 2459 रायपुर दिनांक 09.08.2017. ।

–––000–––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स स्टेट डाटा सेन्टर भवन, सिविल लाईन रायपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स स्टेट डाटा सेन्टर भवन, सिविल लाईन रायपुर द्वारा जिला उ.ब.कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि रकबा 3.064 हे. की मांग आप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु की गई है।
2. आवेदकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000 / – एवं प्रोसेसिंग शुल्क 18000 / – कुल 24000 / – जमा कर दी गई है।
3. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.7 है। आवेदक संस्थान द्वारा आप्टिकल फाईबर केबल लाईन निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से वृक्षों को क्षति / नुकसान नही पहुचाने बाबत् वचनबद्ध है। अतः वृक्षों की मार्किंग गणना नही की गई है।

4. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसारः–

   (I) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (आप्टिकल फाईबर केबल लाईन) हेतु मांग की जा रही है वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है

   (II) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रं./एफ.नं. 11–09/98–एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 28.10.2014 के परिपालन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

6. प्रस्तावित क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने तथा 05 हे. क्षेत्र से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव संलग्न नही किया गया है।

7. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस – पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. परियोजना का काष्ट बेनीफिट ऐनालिसिस निरंक है। (चूंकि आवेदित क्षेत्र 20 हे. से कम है)

9. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अनिनियम 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नही किया गया है।

10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Bioshere Reserve प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट, धार्मिक स्थल की सीमा 10 वर्ग कि.मी. के परिधि के अंतर्गत नही है। किन्तु रोड़ किनारे रावघाट मंदिर स्थित है।

11. आवेदित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अन्यारण्य का भाग नही है एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में नही है।

12. आवेदक संस्थान द्वारा आप्टिकल फाईबर केबल लाईन निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से वृक्षों को क्षति/नुकसान नही पहुचाने बाबत् वचनबद्ध है। छ.ग. शासन वन विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रं./एफ.–7–8./2001/10–2 का परिपालन में पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। अतः प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य जमा करने की आवश्यकता नही है।

13. भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पत्र क्रं. F.No.11-09/98-FC(pt) दिनांक 28.10.2014 के अनुसार Linear Diversion के लिए वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

14. भारत सरकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010 के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान दशा प्राकृतिक कारणों से है। (Soil Productivity Lack of It) प्रमाण पत्र संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव पांच प्रतियों मय ऑनलाईन वेब एन्ट्री पूर्ण कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 05 प्रतियां / चेकलिस्ट

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

पृ.क. / मा.चि. / 2452 **भानुप्रतापपुर, दिनांक** 5.4.018

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स स्टेट डाटा सेन्टर भवन, सिविल लाईन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर